

५/४/२१

वहील फरिश्त उपन । बूडि प्रा. पत्र धारा
136 LR Act स्वीकार हो गया है । अतः
प्रा. पत्र सारहीन होने के कारण खारिज
किया जाता है । पूर्व में जारी T.I.
खारिज की जाती है । पत्रावली दाखिल
दफ्तर है ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)